तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमप्रकाश बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर कृ0 भू0 रूपा. जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 78/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमप्रकाश चौधरी पता ए–35, नृसिंह विहार, लालसागर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.04.18 में उसके द्वारा (1) न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कृषि भूमि रूपान्तरण के प्रकरण सं0 8/83 के निर्णय दिनांक 23.07.1983 के आदेश के समस्त पृष्ठों की सत्य प्रतिलिपियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर) से जरिये पत्रांक 3059 दिनांक 13.06.18 सूचनार्थ प्राप्त हुआ जिससे स्पष्ट होता है कि अति. जिला कलक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर कार्यालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अपील दायर होने के पश्चात् प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार शाखा कार्यालय हाजा को पत्र प्रेषित किया गया जो अत्यन्त खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अति.कलक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर)/प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार शाखा कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner